उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

सोमवार 25 अग्रहायण, शक संवत्, 1924
(दिनांक : 16 दिसम्बर, 2002)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

1. प्रश्न (देखिये नत्थी "क")।

2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी "ख")।

3. निधन के निदेश।

4 संसदीय कार्य मंत्री, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन के पटल पर रखेंगे।

5. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल विधान सभा के द्वितीय सत्र में प्राप्त नियम-301 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे।

6. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

7. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के रवांई क्षेत्र को पृथक जनपद बनाने के सम्बन्ध में" श्री भगवती प्रसाद भद्री एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में विज्ञान संकाय खोलने विषयक" श्री शशि मोहन एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ को तहसील बनाये जाने के सन्दर्भ में" श्री राकेश सेमवाल एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

....2/...

10. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के चामी सिगुणी-नौगांव, गोडर-सुल्याखोल मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री कुशलानन्द एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

13. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"**ग**")

14. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

15. वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-01, विधान सभा के अन्तर्गत रु0 1803 हजार (अठारह लाख तीन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-03, मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत रु0 11500 हजार (एक करोड़ पन्द्रह लाख) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 20938 हजार (दो करोड़ नौ लाख अड़तीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-05, निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 24320 हजार (दो करोड़ तैंतालीस लाख बीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 428727 हजार (बयालीस करोड़ सत्तासी लाख सत्ताईस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

.....3/....

(6) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 165538 हजार (सोलह करोड़ पचपन लाख अड़तीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-08, आबकारी के अन्तर्गत रू0 4507 हजार (पैंतालीस लाख सात हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-09, लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रू0 807 हजार (आठ लाख सात हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 446084 हजार (चौवालीस करोड़ साठ लाख चौरासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 876520 हजार (सत्तासी करोड़ पैंसठ लाख बीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0 98839 हजार (नौ करोड़ अठ्ठासी लाख उन्तालीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 327683 हजार (बत्तीस करोड़ छिहत्तर लाख तिरासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14, सूचना के अन्तर्गत रू0 14766 हजार (एक करोड़ सैंतालीस लाख छियासठ हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

....4/....

(14) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15, कल्याण योजनायें के अन्तर्गत रू0 22866 हजार (दो करोड़ अठाईस लाख छियासठ हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(15) श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16, श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत रू0 3526 हजार (पैंतीस लाख छब्बीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(16) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17, कृषि कर्म एवं अनुसन्धान के अन्तर्गत रू0 98476 हजार (नौ करोड़ चौरासी लाख छिहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(17) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18, सहकारिता के अन्तर्गत रू0 16740 हजार (एक करोड़ सड़सठ लाख चालीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(18) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 630815 हजार (तिरसठ करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(19) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 396755 हजार (उन्तालीस करोड़ सड़सठ लाख पचपन हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(20) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-21, ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 1787780 हजार (एक अरब अठहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख अस्सी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(21) लोक निर्माण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 37500 हजार (तीन करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(22) उद्योग मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23, उद्योग के अन्तर्गत रू0 210344 हजार (इक्कीस करोड़ तीन लाख चौवालीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(23) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24, परिवहन के अन्तर्गत रू0 142500 हजार (चौदह करोड़ पच्चीस लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(24) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25, खाद्य के अन्तर्गत रू0 2690 हजार (छब्बीस लाख नब्बे हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(25) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26, पर्यटन के अन्तर्गत रू0 20000 हजार (दो करोड़) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(26) पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रू0 63503 हजार (छः करोड़ पैंतीस लाख तीन हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

16. वित्त मंत्री, उत्तरांचल विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

17. वित्त मंत्री, उत्तरांचल विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करेंगे।

18. वित्त मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

19. वित्त मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

....6/....

20. निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना :-

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
1. श्री प्रकाश पंत, 2. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 3. श्री महेन्द्र भट्ट, 4. श्री प्रीतम सिंह पंवार 11. श्री बिशन सिंह चुफाल, 11. श्री मदन कौशिक, 11. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 11. श्री अनिल नौटियाल, 11. श्री माल चन्द, 10. श्री अजय भट्ट, 11. श्री कैलाश शर्मा, 12. श्रीमती आशा नौटियाल,	"यह सदन उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।"

21. पंचायती राज मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

22. पंचायती राज मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

23. धर्मस्व कार्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

24. धर्मस्व कार्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

25. निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना :-

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
1. श्री प्रकाश पंत, 2. श्री महेन्द्र भट्ट, 3. श्री प्रीतम सिंह पंवार 4. श्री सुरेश चन्द जैन, 5. श्री बिशन सिंह चुफाल, 6. श्री मदन कौशिक, 7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 8. श्री अजय भट्ट, 9. श्री कैलाश शर्मा, 10. श्रीमती आशा नौटियाल, 11. श्री हरबंस कपूर,	"यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।"

....7/....

26. नगर विकास मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

27. नगर विकास मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

28. निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना :-

<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>संकल्प</u>
1. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 2. श्री महेन्द्र भट्ट, 3. श्री सुरेश चन्द जैन, 4. श्री बिशन सिंह चुफाल, 5. श्री मदन कौशिक, 6. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 7. श्री अजय भट्ट, 8. श्री हरबंस कपूर, 9. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,	"यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।"

29. नगर विकास मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

30. नगर विकास मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

31. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादूनः
दिनांक : 16 दिसम्बर, 2002

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

तृतीय सत्र, 2002 का
प्रथम सोमवार

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

सोमवार, 25 अग्रहायण, शक संवत्, 1924

(दिनांक : 16 दिसम्बर, 2002)

नत्थी (क)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित स्थगित प्रश्न

श्री प्रकाश पंत 11.04.2002	*1. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में लघु जल विद्युत निगम की उत्तरांचल में, कितनी परियोजनाये कार्य कर रही हैं? इन परियोजनाओं का उत्पादन लक्ष्य, प्रति परियोजना क्या निर्धारित था? प्रत्येक परियोजना कितना उत्पादन कर रही है? क्या लक्ष्य से कम उत्पादन करने वाली परियोजनाओं के उत्पादन में वृद्धि के संबंध मे सरकार की कोई कार्ययोजना है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ऊर्जा

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

डा. नारायण सिंह जंतवाल 29.07.2002	*1. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय करों से मिलने वाली अनुदान राशि में उत्तरांचल राज्य को हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पर्वतीय राज्यों के समकक्ष रखा गया है? यदि हाँ, तो वर्ष 2001-2002 में हिमाचल प्रदेश की तुलना में उत्तरांचल को कितनी धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई ?	वित्त
श्री फूल सिंह बिष्ट 29.07.2002	*2. क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में वानिकी और पर्यटन विषय सम्मिलित हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं और प्रदेश के हित में उक्त विषयों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित किये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कार्मिक
श्री प्रीतम सिंह पंवार 30.07.2002	*3. क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में कफनौल, हिमरौल, ठेल्यूंका, दारसौ और गैर-गन्ना आदि ग्रामों में विद्युत आपूर्ति कब से बन्द है ? क्या सरकार यथा शीघ्र उल्लिखित ग्रामों में विद्युत आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री मदन कौशिक 30.07.2002	*4. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मितव्ययता हेतु कोई प्रभावी कदम उठाये गयें हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी विभागों के मुख्यालयों पर तैनात अधिकारियों को उपलब्ध सरकारी वाहनों के प्रयोग पर नियंत्रण रखने हेतु विचार करेगी? यदि नही, तो क्यों?	वित्त
श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" 30.07.2002	*5. क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि किसानों को निजी नलकूप के कनेक्शन हेतु शासन द्वारा पूर्व में अनुदान के रूप में 300 मीटर केबल, दो खम्बे तथा ट्रान्सफार्मर उपलब्ध कराये जाते थे? यदि हाँ, तो क्या उक्त अनुदान योजना को पुनः आरम्भ किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा

श्री प्रकाश पंत 12.08.2002	*14. तृतीय सोमवार तक स्थगित	
मो0 शहजाद 21.08.2002	*15. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के शहरी एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु कोई नीति निर्धारित की गयी है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भंयकर सूखे की स्थिति को देखते हुए कृषि कार्यो हेतु 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि नही, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 26.08.2002	*16. क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल शासन ने प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को मूल्य वरीयता के साथ-साथ क्रय वरीयता देने का निर्णय लिया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त नीति का परिपालन हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	औद्योगिक विकास
श्री बलबीर सिंह नेगी 19.09.2002	*17. क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी-गढ़वाल के धर्मगंगा व बालगंगा के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में लघु जल विद्युत योजना बनाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त योजना से प्रभावित ग्राम सभाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त योजना के संबंध में किसी निजी कम्पनी से अनुबन्ध भी कर लिया गया है? यदि हाँ, तो अनुबन्ध की शर्ते क्या हैं?	ऊर्जा

द्वितीय सत्र, 2002 के द्वितीय सोमवार को स्थगित

अतारांकित प्रश्न

श्री अजय भट्ट 01-05-2002	2. क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि सरकार द्वारा विभागों का पुर्नगठ्न का कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो अभी तक किन-किन विभागों का पुर्नगठ्न कर दिया गया है तथा किन विभागों का पुर्नगठ्न होना शेष है? विभागों के पुर्नगठ्न का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?	कार्मिक

काजी निजामुद्दीन 31.07.2002	9. क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि जनपद हरिद्वार में दिनांक 01.03.2002 से दिनांक 31.03.2002 तक क्रमशः किस-किस थाने में कितनी-कितनी प्राथमिक रिपोर्ट अदालत के आदेश पर लिखी गई?	गृह
चौ0 यशवीर सिंह 31.07.2002	10. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 01.03.2002 से दिनांक 31.07.2002 तक मुख्यमंत्री तथा मंत्रि-मण्डल के अन्य सदस्यों के सरकारी दौरों पर कुल कितना सरकारी रूपया खर्च किया गया?	सचिवालय प्रशासन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 01.08.2002	11. क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण पुनरारम्भ कार्यक्रम पर दिनांक 17.07.2002 व 18.07.2002 को कुल कितना व्यय किया गया?	ऊर्जा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 01.08.2002	12. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के ग्राम त्यूखर लस्या तथा उछोला पूर्वी बांगर में विद्युतीकरण का कार्य कब शुरू हुआ था? आज की तिथि में उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण की क्या स्थिति हैं?	ऊर्जा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 01.08.2002	13. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है? यदि हाँ, तो किस स्थान पर? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री हरंबस कपूर 01.08.2002	14. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नजूल भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने हेतु शासन द्वारा कोई रोक लगाई गई है? यदि हाँ, तो यह रोक कब और किस शासनादेश द्वारा लगाई गई है?	आवास
श्री प्रेमानन्द महाजन 01.08.2002	15. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पन्तनगर-गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत क्षेत्र में एक महाविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं?	उच्च शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 02.08.2002	16. **'प्रदेश सरकार से असम्बद्ध' होने के कारण निरस्त**	
श्री बिशन सिंह चुफाल 05.08.2002	17. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नेपाल से लगी सीमा पर काली नदी में तार बिछाकर तार के सहारे अवैध रूप से लोगों का आना-जाना है? क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई योजना बनायी है? यदि हाँ, तो योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	गृह

श्री मदन कौशिक 09.08.2002	26 . क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के सभी जनपदों में पुलिस बल में भर्ती हेतु शारीरिक मापदंड समान हैं? यदि नही, तो क्यों?	गृह
श्री प्रकाश पंत 09.08.2002	27. विस्तीर्ण एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त	
श्री प्रकाश पंत 12.08.2002	28. क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कितने गांवों के ट्रान्सफार्मर वर्तमान में खराब हैं? क्या सरकार इन ट्रान्सफार्मरो को ठीक कराने पर विचार कर रही हैं? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री प्रकाश पंत 13.08.2002	29. क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण की ग्राम पंचायत धारी, डुंगरा वास्ते इत्यादि गांवो की विद्युत व्यवस्था क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ तो विद्युत व्यवस्था कब तक सुचारू रूप से प्रारम्भ हो जायेगी?	ऊर्जा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.08.2002	30. क्या गृहमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में पुलिस कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है? यदि नही, तो कब तक आवासीय व्यवस्था करवा दी जायेगी?	गृह
डा0 अनसूया प्रसाद मैखुरी 16.08.2002	31. क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि राज्य की राजधानी देहरादून के राजीवनगर, शास्त्रीनगर तथा सारथी विहार आदि क्षेत्रों में विगत 7-8 महीनों से लगातार कई घंटो तक बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है? यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति न होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में शीध्र नियमित विद्युत आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस अनियमित आपूर्ति के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री माल चन्द 16.08.2002	32. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी लघु विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की योजना प्रस्तावित है? इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा?	ऊर्जा
कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" 16.08.2002	33. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खानपुर तथा लक्सर विकास खण्डों (जिला हरिद्वार) के कितने और कौन से ग्रामों को ऊर्जीकृत करने की योजना शासन स्तर पर प्रस्तावित है तथा कितनी धनराशि उक्त कार्य हेतु उपलब्ध कराई जायेगी?	ऊर्जा

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 23.08.2002	39. क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि डोईवाला शुगर मिल को एक सत्र के लिए पेराई हेतु कुल कितना गन्ना आवश्यक होता है? विगत 4-5 वर्षो में क्रम-वार कितना गन्ना प्रति पेराई सत्र में उपलब्ध हो रहा है? क्या पेराई हेतु गन्ना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त मिल की आपूर्ति करने वाले किसानो को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है? यदि नही, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?	गन्ना विकास व चीनी उद्योग
श्री नारायण राम आर्य 23.08.2002	40. क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय स्नातक महाविद्यालय बेरीनाग पिथौरागढ़ के छात्र अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे थे? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किये जा रहें हैं? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री प्रकाश पंत 24.08.2002	41. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में नैनीसैनी में हवाई पट्‌टी निर्माण के पश्चात व्यावसायिक उड़ानें प्रारम्भ न हो पाने के क्या कारण हैं? क्या इस वर्ष नियमित उड़ानें प्रारम्भ हो जायेंगी? यदि नहीं तो क्यों?	नागरिक उड्डयन
श्री नारायण राम आर्य 24.08.2002	42. क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के राईआगर में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक विद्युत सब स्टेशन बन जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 26.08.2002	43. क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में डी.आर.डी.ए. सिंचाई बंधुओं, उद्योग बंधुओं, सड़क और यातायात, शिक्षा समिति आदि की बैठक की अध्यक्षता, जनपद का वरिष्ठ विधायक या सांसद से कराने पर सरकार क्या विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक यह व्यवस्था लागू होगी? यदि नही, तो क्यों?	नियोजन
श्री मातबर सिंह कण्डारी 27.08.2002	44. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड जखोली जनपद रूद्रप्रयाग के 33 के.वी. सब स्टेशन का कार्य कब शुरू हुआ था? इसका निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा?	ऊर्जा
डा0 अनसूया प्रसाद मैखुरी 27.08.2002	45. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर जनपद चमोली में एम.ए. स्तर पर गृह विज्ञान तथा एम.एड. आदि विषय प्रारम्भ करने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्रीमती आशा नौटियाल 27.08.2002	46. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत गुप्तकाशी (कण्ड) में बन्द पड़े पावर हाउस की पुनः चालू किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त पावर हाउस चालू कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा

श्री बलबीर सिहं नेगी 12.09.2002	54. क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ऊर्जा निगम एवं जल विद्युत निगम में कितने पद तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के वर्तमान में रिक्त हैं? क्या रिक्त पदों पर बेरोजगार विद्युत अप्रेन्टिसों का समायोजन करने पर सरकार विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री प्रकाश पंत 12.09.2002	55. क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि जनपद बागेश्वर में बालीघाट पद्रपाली मोटर मार्ग के वर्ष, 2001 शिलान्यास पट, जी.आई.सी. मण्डलसेरा, विधायक निधि से निर्मित कक्ष का उद्घाटन पट तथा सरयू पुल पर उत्तरांचल स्थापना दिवस 2001 पर मा0 प्रधानमंत्री के आभार प्रदर्शन पट को वर्तमान में हटा दिया गया है? यदि हाँ, तो हटाने के क्या कारण हैं? क्य सरकार उक्त उद्घाटन शिलान्यास, तथा आभार पटों को पुर्नस्थापित करेगी? यदि नही, तो क्यों?	द्वितीय मंगल के अता0 49 में स्था0
श्री मातबर सिंह कण्डारी 12.09.2002	56. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के नियोजन में पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र का ध्यान रखा गया है? यदि हाँ, तो पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्र के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनायी गयी हैं?	नियोजन
श्री नारायण पाल 12.09.2002	57. क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज सम्पूर्णानन्द शिविर में कितने अधिकारी/कर्मचारी/पुलिस कर्मी व कैदी हैं? कितने अधिकारियों/कर्मचारियों/पुलिस कर्मियों ने उत्तर प्रदेश का विकल्प भरा है? वह कब तक उ0प्र0 के लिए कार्यमुक्त हो जायेंगे तथा कैदियों को उ0प्र0 भेजने की क्या नीति है?	गृह
श्री मातबर सिंह कण्डारी 16.09.2002	58. क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एंग्लो इण्डियन की जनसंख्या कितनी है? सरकार द्वारा किसी एंग्लो इण्डियन को विधायक मनोनीत किये जाने का क्या औचित्य है?	प्रथम मंगल के अता.106 में स्था0
श्री बलबीर सिंह नेगी 18.09.2002	59. क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी-गढ़वाल के पौखाल नामक स्थान पर महाविद्यालय खोलने की सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री बलबीर सिंह नेगी 20.09.2002	60. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के बालगंगा-धर्मगंगा पर विचाराधीन लघु विद्युत पन बिजली योजना से कितना किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? उक्त योजना से घनसाली क्षेत्र के कितने गाँवों को विद्युत आपूर्ति की जायेगी?	ऊर्जा

श्री प्रकाश पंत 09.10.2002	68. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पुलिस के कैडर का निर्धारण किया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो कब तक कैडर निर्धारण कर दिया जायेगा?	गृह
श्री प्रकाश पंत 10.10.2002	69. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तरांचल राज्य निर्माण से पूर्व जनपद पिथौरागढ़ में चौनाला सीमेन्ट फैक्ट्री गंगोलीहाट में खोला जाना प्रस्तावित था? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्री की स्थापना किये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्योग
श्री मातबर सिंह कण्डारी 16.10.2002	70. क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून शहर में महिलाओं के गले से चेन छीनने की कितनी घटनाऐं अब तक हो चुकी हैं? सरकार द्वारा उक्त घटनाओं की रोकथाम के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	गृह
श्री कैलाश शर्मा 17.10.2002	71. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल सरकार में पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है? राजस्व पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु क्या केन्द्र सरकार से कोई धनराशि प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो कितनी धनराशि व्यय की गई है?	प्रथम बुध के अता0 72 में स्था0
श्री तसलीम अहमद 19.10.2002	72. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, 2002 से अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के विकल्पधारी कितने कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा चुका है तथा कितने कर्मचारी शेष हैं? शेष कर्मचारियों को कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	गृह
श्री बिशन सिंह चुफाल 19.10.2002	73. क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने से पद रिक्त हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	महिला सशक्तिकरण
श्री बिशन सिंह चुफाल 24.09.2002	74. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में तहसीलदारों की उपजिलाधिकारी पद पर पदोन्नति का कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है? क्या सरकार तहसीलदारों की पदोन्नति किये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कार्मिक

नत्थी -"ग"

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 की बैठक में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर, 2002 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

<u>दिसम्बर, 2002</u>

16 सोमवार	(1) निधन के निदेश। (2) स्थानीय निधि-लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2001-2002 का सदन के पटल पर रखा जाना। (3) वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा, मतदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण। (4) **<u>विधायी कार्य :-</u>** (क) उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा) (ख) उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा) (ग) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा) (घ) उत्तरांचल (उत्तरांचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)
17 मंगलवार	(1) **<u>विधायी कार्य :-</u>** (क) उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा) (ख) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा) (ग) भारतीय स्याम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)